रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, बुधवार, जून 7, 1972/ज्येष्ठ 17, 1894

No. 159] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 7, 1972/JYAISTHA 17, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Posts and Telegraphs Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th June 1972

G.S.R. 305(E).—In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Fourth Amendment) Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the 1st July, 1972.

2. In Rule 451 of the Indian Telegraph Rules, 1951,—in paragraph E, for the figures and letter "20 P" wherever they occur, the figures and letter "30 P" shall be substituted.

[No. 3-60/71-R.]

B. S. RAU,
Senior Member (T.O.)
and Ex-officio Additional Secretary.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जून, 1972

सा० का० नि० 305 (अ).—भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार नियम, 1951 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्द्वारा बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम भारतीय तार (चौथा संशोधन) नियम, 1972 होगा।

(2) ये 1 जुलाई, 1972 को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय तार नियम, 1951 के नियम 451 में, पैरा ङ० में "20 पैसे" अंकों और अक्षरों के स्थान पर, जहां कहीं भी वे आते हों, "30 पैसे" अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं० 3–60/71-आर०]

बी० एस० राव,

प्रवर सदस्य (दूर संचार प्रचालन)

तथा पदेन अतिरिक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972